

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 11/2334/11

जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़सारी-कुल्याणी धांधण खेत मोटर मार्ग के विस्तार
हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दत्त प्रती सहायक

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
बैजरो पौड़ी (गढ़वाल)

फरवरी 2011

जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़सारी-कुल्याणी-धांधणखेत मोटर मार्ग के विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बैजरो के अन्तर्गत 3.00 कि०मी० लम्बाई में गढ़सारी-कुल्याणी-धांधणखेत विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बैजरो के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.1.2011 को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री आर०एस० भण्डारी के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत गढ़सारी-कुल्याणी धांधणखेत मोटर मार्ग का 3.00 कि०मी० लम्बाई में विस्तार कार्य स्वीकृत है। अवगत कराया गया कि मार्ग निर्माण हेतु एक ही विकल्प होने के कारण मार्ग का एक ही समरेखन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन 5.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माणाधीन गढ़सारी-कुल्याणी मोटर मार्ग से आगे आरम्भ होता है। ग्राम कुल्याणी से होते हुये निर्धारित लम्बाई पूर्ण कर समरेखन धांधणखेत में समाप्त होता है। समरेखन में तीन हेयर पिन बैंड्स प्रस्तावित हैं, जो क्रमशः चैनैज 5.950, 6.400 तथा 7.825 कि०मी० में दिये गये हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन के आरम्भ की लगभग 200 कि०मी० लम्बाई नाप भूमि से तथा शेष लम्बाई आरक्षित वनभूमि से होकर गुजरती है। समरेखन क्षेत्र में सधियुक्त शिस्ट एवं क्वार्ट्जाइट चट्टान दृष्टिगोचर है तथा नाप भूमि में मिट्टी/डब्री है। भूमि का ढलान 25° से 50° के मध्य है। किन्तु चट्टानी भाग में कहीं-कहीं ढलान इससे तीव्र भी है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों का ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावाधानीपूर्वक बनाये जाये।

(ग) जहाँ ढलान तीव्र हो वहाँ मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ङ) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाते हुये सावाधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

Photo copy attached

21/1/2011

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
बैजरो पौड़ी गढ़वाल

- (च) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाइड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

- (क) मार्ग कटान के पश्चात हिल साइड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. गढसारी-कुल्याणी-धांधणखेत विस्तार मोटर मार्ग हेतु 3.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।
- (2) मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्ग के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-उ०/०६ दि० 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
11.2.11
प्रौद्योगिक
कार्यालय मुख्य अभि
नो० नि० वि० उत्तर
देहरादून

M/s copy attested

सहायक अभियन्ता
(निर्माण कार्य-सिटी प्रोजेक्ट)
देहरादून